छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-04

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

(पौष 01, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 44 तारांकित एवं 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पृच्छा

श्री मोहन मरकाम, सदस्य द्वारा निंदा प्रस्ताव की सूचना का वाचन किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि निंदा प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया गया है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा कथन किया गया कि सदस्यों द्वारा निंदा प्रस्ताव दिया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि निंदा प्रस्ताव का नियम है उसे आप पढ़ लें। अगर उसके बाद भी आप असंतुष्ट होते हैं तो कक्ष में आकर चर्चा कर लें।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा टिप्पणी किए जाने पर श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने आसंदी के प्रति आरोपात्मक टिप्पणी की ओर माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया।

3. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा आसंदी आपेक्षात्मक पर टिप्पणी का उल्लेख करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 **पटल पर रखा।**

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा, सदस्य ने जिला रायपुर के ग्राम सातपारा में किसानों पर लाठी चार्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा एवं विमल चोपड़ा सदस्य ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), सदस्य ने खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के बागबाहरा जनपद में आवास आवंटन में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि नियम 267 क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 22.12.2015 को उन्होंने सदन में 08 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267 क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री केशव चंद्रा

(2) श्री दलेश्वर साहू

(3) डॉ. प्रीतम राम

(4) श्री उमेश पटेल

(5) श्रीमती तेजकुंवर नेताम

(6) श्री गिरवर जंघेल

(7) श्री मोतीलाल देवांगन

(8) श्री नवीन मारकण्डेय

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 01)	श्री नवीन मारकण्डेय	30 मिनट
2. (क्रमांक - 08)	श्री टी.एस.सिंहदेव	30 मिनट
3. (क्रमांक - 02)	श्री नवीन मारकण्डेय	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने लोक लेखा समिति का इक्तीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां, सैंतीसवां, अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं:-

(1) श्री अशोक साहू

(2) श्री रोशनलाल अग्रवाल

11. व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति की गई टिप्पणी पर व्यवस्था की मांग की।

माननीय सभापति महोदय ने कथन किया कि वे कार्यवाही देखकर यथोचित निर्णय लेंगे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

12. वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 55, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार दो सौ बहत्तर करोड़, अंठानवे लाख, सत्तर हजार, दो सौ बीस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री श्यामबिहारी जायसवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. खिलावन साहू, श्रीमती सरोजनी बंजारे (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा आसंदी के प्रति की गई टिप्पणी पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

13. वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर मतदान

श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्री पारसनाथ राजवाड़े, डॉ. सनम जांगड़े, श्री चिन्तामणि महाराज, श्री नवीन मारकण्डेय,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, अवधेश सिंह चंदेल, श्यामलाल कंवर, रोहित कुमार साय, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), राजेन्द्र कुमार राय, रामलाल चौहान, अरूण वोरा, श्रीचंद सुंदरानी, गिरवर जंघेल, रामदयाल उईके, मोहन मरकाम, (डॉ.) विमल चोपड़ा, सत्यनारायण शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची के पद क्रम 7 (1) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पुन: व्यवस्था दिए जाने की मांग की गई।

14. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

आज सदन में प्रश्नकाल के पश्चात् माननीय सदस्य श्री मोहन मरकाम द्वारा, उनके द्वारा दिए गए एक निंदा प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने निंदा प्रस्ताव का वाचन आरंभ किया, जिस पर आसंदी द्वारा यह सूचित किया गया कि निंदा प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है और यदि वे चाहे तो आकर मुझसे चर्चा कर लें ।

इस कार्यवाही के पश्चात् माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने आरोपात्मक शब्दों में अपना कथन निम्नानुसार किया :-

'"विधान सभा में हम लोग प्रश्न लगाते हैं, सदन के दो दिन पहले हमें जानकारी मिलती है कि आपका प्रश्न अग्राह्य कर दिया गया है । आजकल कोई संशोधन देते हैं, तो वो पता

चलता है अग्राह्य कर दिया गया है । मतलब यह है कि यहां कोई ठीक नही चल रहा है । एकतरफा ही चल रहा है, तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं।"

पश्चात् माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने आसंदी पर आरोप लगाने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया ।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने पुन: आक्षेपजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि -

"यदि इसी प्रकार चलता रहा अध्यक्ष महोदय, तो चलाइए, हम बहिष्कार करते हैं । (माननीय सदस्य द्वारा अपने आसन से हटकर सदन के बाहर जाते हुए) यदि इसी प्रकार से रवैया रहा तो हम सदन में भाग नहीं ले सकते । चलाते रहिए, सदन ।"

भोजन अवकाश के पश्चात् माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई आसंदी पर आक्षेपजनक टिप्पणी की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया, तब मैंने सदन को यह सूचित किया कि मैं कार्यवाही देखकर यथोचित निर्णय लूंगा ।

यह सदन पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का है । इसकी कार्यवाही के संचालन का दायित्व आसंदी पर है । मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2011 को प्रश्न की अग्राह्यता पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए आरोपात्मक शब्दावली का प्रयोग किया था, तब आसंदी द्वारा विस्तार से दी गई व्यवस्था के कुछ अंशों को ही यहां उद्धृत करना चाहूंगा -

"मैं यह भी चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार नियमों के अंतर्गत अग्राह्य किये गये प्रश्नों, विभिन्न सूचनाओं के संबंध में सदन में उल्लेख नहीं किया जाए और आसंदी द्वारा दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सदस्यगण अपना आचरण संयमित और शालीन रखें ।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उनके निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं होती और अध्यक्ष का निर्णय मंत्रिगण और सदस्यों के ऊपर समान रूप से बंधनकारी होता है ।"

मैं उक्त पूर्व में दी गई व्यवस्था एवं आज सदन में हुई कार्यवाही के संदर्भ में समस्त माननीय सदस्यों विशेषकर इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री भूपेश बघेल जी से आग्रह करता हूं कि अपनी सूचनाओं, प्रश्नों आदि के संबंध में कुछ भी कहना हो तो अध्यक्ष के कक्ष में आकर चर्चा कर लें । बारम्बार सभा में आसंदी पर आक्षेपजनक टिप्पणी से इस सभा की गरिमा का ह्रास होता है, जिसके माननीय सदस्य अविभाज्य अंग हैं ।

सभा में उत्कृष्ट परम्पराओं को बनाए रखें और ऐसी कोई बात न कहें, जिससे इस सभा एवं इसकी आसंदी की गरिमा को आघात पहुंचे ।

15. वर्ष 2015-2016 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर मतदान (क्रमश:)

श्री केश्व चंद्रा, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 (क्रमांक-37 सन् 2015)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 (क्रमांक-37 सन् 2015) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2015 (क्रमांक-37 सन् 2015) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 6.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 (पौष, 02 शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा